न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible] 82/2010

[illegible] बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि भवानीशंकर जाति मीणा निवासी कवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. रामदयाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. रामकिशन पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कंवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. बाबूलाल
4. हरिशंकर
5. भवानीशंकर
6. कन्हैयालाल

} पुत्रान रामनारायण जाति मीणा निवासीगण कंवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

7. गंगाबाई बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी कंवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री भंवर सिंह गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री ओम भारद्वाज, श्री कमलदीप हाडा

निर्णय दिनांक : 12.11.2018

दायरा दिनांक: 03.02.2010

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल के खाता संख्या 150 नया 141 पुराना में खसरा नं0 538 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 544 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा आराजी वाके ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल खातेदारान रामचन्द्र, रामनारायण, रामकिशन, रामदयाल पुत्रान जगन्नाथ जातियान मीणा के खाते दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040 ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल की खतोनी में उक्त आराजी उक्त खातेदारान के खाते दर्ज है। उक्त खातेदारान के बीच उनकी मौजूदगी में उक्त आराजी का बंटवारा जो गया जिसमें आराजी खसरा नं0 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल आराजी 12 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादनी के पिता रामचन्द्र के खाता दर्ज की गई। इस आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नं0 538 मिन रकबा 39 बीघा

[illegible] उक्त खसरा नं0 के रकबे के नये नम्बर खसरा नं0 435 रकबा 2.25 है0 व खसरा नं0 441 [illegible] किये गये। इन खसरा नम्बरान में रामचन्द्र का हिस्सा 12 बीघा 12 बिस्वा बंटवारे के [illegible] है। वादनी के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1 रामचन्द्र ने जबरन उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया। वादनी के पिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद वादनी की माता की मृत्यु हो जाने के बाद [illegible] द्वारा उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी कम 1 ने वादनी के पिता के हिस्से की आराजी का एक फर्जी वसीयत दिनांक 05.12.1982 को पेश कर राजस्व अधिकारियों से मिलकर [illegible] उक्त विवादित आराजी पर इंतकाल तस्दीक करा लिया। वादनी अपने माता–पिता की एक मात्र वारिस है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा द्वारा भी की गयी। वादनी अपने पिता के हिस्से की आराजी 12 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नं0 435 रकबा 2.55 है0, खसरा नं0 441 रकबा 2.93 है0 में से अपने पिता के हिस्से की आराजी 2.10 है0 आराजी अपने खाते पृथक से दर्ज कराकर प्रतिवादी नं0 1 से कब्जा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादनी के खाते खसरा नं0 435 रकबा 2.25 है0, खसरा नं0 441 रकबा 2.93 है0 कुल किता 2 आराजी में 2.10 है0 आराजी अर्थात 12 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादनी के खाते पृथक से दर्ज कर खाता पृथक किया जावें। तथा प्रतिवादी नं0 1 से वादनी को उक्त वर्णित आराजी 2.10 है0 का कब्जा दिलया जाये तथा इस दौरान प्रतिवादी नं0 1 ने विवादित आराजी से प्राप्त किया मुनाफा भी वादनी को नियमानुसार प्रतिवादी नं0 1 से दिलाया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी कम 1 ता 8 को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 4, 6 व 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता नईम अख्तर जवाब दावा पेश करके न्यायालय से प्रार्थना की कि वाद को स्वीकार करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी कम 1, 2, 3 व 5 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी कम 1 रामदयाल ने जर्ये अधिवक्ता ओम भारद्वाज, कमलदीप हाडा जवाब दावा पेश किया। जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 में संपत्ति विवादित होना अस्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3, अस्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4, अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5, अस्वीकार है। वसीयत फर्जी होना अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6, अस्वीकार है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7, 8, 9, 10 व 11 अस्वीकार है

[illegible] वाद पत्र की मद नं0 12 में जवाब अपेक्षित नही है।

[illegible] वाद पत्र की मद नं0 13, 14, 15 व 16 कानूनी है।

विशेष कथन– विवादित आराजी खसरा नं0 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 542 रकबा 2 बीघा व बिस्वा कुल 2 किता 12 बीघा 12 बिस्वा रामचन्द्र के खाते दर्ज थी। उक्त आराजी को रामचन्द्रजी अपने जीवनकाल में स्वयं काश्त करते थे। उनकी वृद्धावस्था होने पर वे अपने भाई रामदयाल प्रतिवादी कम 1 के पास आकर रहने लग गये थें तथा अपने जीवनकाल में ही उन्होने इस आराजी का काश्त व्यवस्था का पूरा जिम्मा प्रतिवादी कम 1 रामदयाल पर छोड दिया। रामचन्द्रजी द्वारा अपने हिस्से की आराजी की वसीयत दिनांक 05.12.1982 को प्रतिवादी कम 1 रामदयाल के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही कर दी थी। प्रतिवादी कम 1 ने उक्त वसीयत के आधार पर रामचन्द्र की मृत्यु के आधार पर अपने पक्ष में जमीन का इन्तकाल खुलवाया गया और आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज की गई। वादनी ने उक्त इंतकाल नं 315 की अपील उप जिला कलक्टर बारां के यहां की थी। जिसका निर्णय दिनांक 31.07.1997 को किया गया तथा वादनी की अपील खारिज की गई और इन्तकाल नम्बर 315 दिनांक 03.10.1989 को वैध माना गया। वादनी ने एक दावा धारा अन्तर्गत 188 व एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां को प्रस्तुत किया जो कि वादनी के विरूद्ध फैसल किया गया। तथा इसे फैसले में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं0 1 का ही कब्जा माना गया था। वादनी व प्रतिवादी जाति से मीणा है जिन पर ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है जिसके अनुसार वादनी का उक्त आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वादनी रामचन्द्रजी की वैधानिक उत्तराधिकारी भी नही है। अतः निवेदन किया कि वाद वादनी सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र व जवाब दावा के आधार पर न्यायालय ने निम्न तनकीयात कायम की गईः–

01. आया राजस्व ग्राम मालबमोरी के वाद में वर्णित मद संख्या प्रार्थना 'अ' खसरा नं0 435 रकबा 2.25 है0 खसरा नं0 441 रकबा 2.93 है0 कुल किता 2 रकबा 2.10 है0 को पृथक खाते दर्ज करवाने का हकदार है। वादनी
02. आया उक्त खसरा नम्बरान पर स्थायी निषेधाज्ञा मय कब्जा पाने का हकदार है। वादनी
03. आया उक्त वाद से पूर्व नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 के पक्ष में निर्णय किया तथा वादनी की अपील खारिज होने से दावा खारिज होने योग्य है। (प्रतिवादी कम 1)
04. आया उक्त वाद से पूर्व दिनांक 30.11.1987 को न्यायालय एसडीओ बारां द्वारा वादनी का वाद खारिज होने से यह वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी कम 1
05. दादरसी

वादनी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 बद्री बाई, पीडब्ल्यू 2 रामनिवास, पीडब्ल्यू 3 मथुरालाल, पीडब्ल्यू 4 [illegible] के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किऐं, दस्तावेजी साक्ष्य में एक्स 1 जमाबंदी सम्वत 2051–2054 ग्राम मालबमोरी, एक्स 2 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 माल बमोरी, एक्स 3 जमाबंदी सम्वत 2037–2040 ग्राम माल बमोरी, एक्स 4 इंतकाल नं0 315 ग्राम मालबमोरी, एक्स 5 सेटलमेंट जमाबंदी मालबमोरी, एक्स 6 नोटिस [illegible] 80 सीपीसी, एक्स 7 रसीद नोटिस, एक्स 8 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मालबमोरी, एक्स 9 वारसान प्रमाण पत्र ग्राम कंवल्दा तह0 पीपल्दा।

दिनांक 24.10.2018 को प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वकील वादनी की बहस सुनी गयी, समस्त राजस्व रेकार्ड दस्तावेजो का अवलोकन किया गया व बयान वादनी पीडब्ल्यू 1 लगायत पीडब्ल्यू 4 को ध्यान पूर्वक पढा गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अपने जवाब दावे के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में अंकित किऐ है तथा साक्ष्य शपथ पत्रो को दोहराया है, न्यायालय तनकी वाइज निम्न प्रकार से निर्णय पारित कर रहा है:–

तनकी नं0 1 व 2:– इन दोनो तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है क्याकि दौनो तनकी एक दूसरे से मिली हुई है। वकील वादनी ने बहस में बताया कि इन तनकी को साबित करने के लिए हाल सेटलमेंट के पूर्व व सेटलमेंट के बाद का राजस्व रेकार्ड देखना आवश्यक है। प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2037–2040 में रामचन्द्र, रामनारायण, रामकिशन, रामदयाल पुत्रान जगन्नाथ जाति मीणा हि0 समभाग में दर्ज हो रहे है वादनी बद्री बाई रामचन्द्र की पुत्री है जिसका विवाह ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल जिला बारां के निवासी भवानीशंकर के साथ हुआ था, वकील वादनी ने बहस में बताया कि रामचन्द्र की बद्री बाई एकलौती पुत्री थी इसकी पुष्टि गवाह पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3 ओर पीडब्ल्यू 4 तथा एक्स 8 व एक्स 9 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मालबमोरी व ग्राम कंवल्दा तह0 पीपल्दा के प्रमाण पत्र के आधार पर होती है, उन्होने बहस में बताया कि यह पूर्ण तरह साबित है कि बद्रीबाई रामचन्द्र की पुत्री है। और रामचन्द्र का आराजी में हिस्सा 1/4 है, विरासत के आधार पर रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादनी बद्री खाते में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है, वादनी के गवाहान से जिरह नही की गई है इस तरह वादनी की साक्ष्य अकाट्य है और विश्वसनीय है।

बहस में ही वकील वादनी ने न्यायालय का ध्यान एक्स 4 इं0 नं0 315 मालबमोरी की ओर दिलाया जिसमें रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात बद्रीबाई(वादनी) का फौती इंतकाल दर्ज कर रखा है, हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बद्रीबाई को मृतक रामचन्द्र की एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी बताया है, जिसकी तस्दीक ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा तह0 पीपल्दा ने कर रखी है और आराजी साबिक खसरा नं0 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नं0 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा पर इन्तकाल भर रखा है जो तस्दीक नही हो सका

अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.12.1982 के आधार पर वादनी बद्रीबाई के इंतकाल तस्दीक न करके प्रतिवादी क्रम 1 रामदयाल के इंतकाल तस्दीक कर दिया और रामचन्द्र का हिस्सा 1/4 रामदयाल के दर्ज करके उसका हिस्सा 1/2 कर दिया।

वकील वादनी ने बताया कि इंतकाल दर्ज हो जाने से प्रतिवादी कम 1 को कोई खातेदारी अधिकार नही मिल जाता है इंतकाल की कार्यवाही एक मूर्तफरीक कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी कम 1 को वसीयत के आधार पर दावा पेश करके अपने अधिकारो की घोषणा न्यायालय से करवाता जो प्रतिवादी कम 1 ने नही किया है जिस प्रकार इन्तकाल नं0 315 एक्स 4 तस्दीक किया गया है, उसे कतई विधि सम्मत नही कहा जा सकता अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर फौती इंतकाल दर्ज करने के लिए पत्रावली तहसीलदार के यहां अलग से दर्ज होती उस कार्यवाही में वसीयत के गवाह व बद्रीबाई को तलब किया जाता फिर फौती इंतकाल का निर्णय किया जाता है, मन–माने तरीके से एक्स 4 इंतकाल नं0 4 प्रतिवादी कम 1 रामदयाल के तस्दीक कर दिया जो कतई विधि सम्मत नही है, प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाबदावे में जो तथ्य आपत्तियों उठाई है, उनके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किऐ है। जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकें, मात्र लिख देने से साबित नही हो जाता है, अपने तथ्य को साबित करने के लिए दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

वकील वादनी ने बहस में यह भी बताया कि इंतकाल नं0 315 में जो साबिक खसरा नम्बरान भरे गये है जिन पर पूर्व में रामचन्द्र का कब्जा था, तत्पश्चात वादनी उन नम्बरान के रकबे पर काश्त करने लगी, और वर्तमान में बलपूर्वक प्रतिवादी कम 1 ने कब्जा कर लिया, उस आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल करके कब्जा वादनी का दिलाया जावें क्योकि मृतक रामचन्द्र की कानूनी उत्तराधिकारी वादनी बद्रीबाई है और भविष्य में प्रति0 कम 1 दखलअंदाजी न करें इसके लिए स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध जारी की जावे। बहस में यह भी बताया गया कि प्रतिवादी कम 1 को अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखना चाहिए, न्यायालय वकील वादनी की बहस, तर्कों से सहमत होते हुए तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादनी के पक्ष में व प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं0 3 व 4:– तनकी नं0 3 व 4 आपस में एक दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है इन दौनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 पर था, लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाब दावा के समर्थन में कोई दस्तावेज न्यायालय का निर्णय आदि पेश नही किए है, और न ही अपनी साक्ष्य पेश की है, जिससे न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुचं सकें, वकील वादनी ने अपनी बहस में बताया कि इंतकाल की कार्यवाही एक फिसीकल प्रोसिडिंग है जिससे प्रतिवादी कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही हो जाता है और जिस प्रकार से इं0 नं0 315 तस्दीक किया गया है वह कत्तई विधि सम्मत नही

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 3 व 4 वादनी के पक्ष में ओर प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

परिणाम:- उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम मालबमोरी तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी कुल किता 4 रकबा 5.82 है0 के खातेदार रामदयाल का हिस्सा 1/2 को खारिज किया जाकर 1/4 हिस्से की खातेदार वादनी बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भवानीशंकर मीणा को घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्से का खातेदार रामदयाल को घोषित किया जाता है शेष खातेदारान यथावत रहेंगे। यह भी आदेश दिया जाता है कि इं0 नं0 315 में दर्ज साबिक खसरा नं0 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं09 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 12 बीघा 12 बिस्वा जिसके ग्राम मालबमोरी के हाल खसरा नं0 435 रकबा 2.25 है0 में से 1.52 है0 व खसरा नं0 447 रकबा 0.49 है0 से प्रतिवादी कम 1 रामदयाल को बेदखल करके कब्जा वादनी बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भवानीशंकर मीणा को सम्भलाया जावें। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 रामदयाल भी पारित की जाती है कि प्रतिवादी कम 1 रामदयाल, वादनी बद्रीबाई के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 435 रकबा 1.52 है0 व खसरा नं0 447 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम मालबमोरी में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। आदेशानुसार डिकी बनाई जावें, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन